Chapter 8 - अध्याय 8

बोर्ड, परिषद, समितियां और अन्य निकाय लोक प्रधिकरण के भाग के रुप में गठित।
(धारा 4(1) (बी)(viii))

सलाहकार समिति

म.प्र. मदरसा बोर्ड की सलाहकार समिति निम्नानुसार होगी :–

1.	मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश	अध्यक्ष,
2.	मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश	सदस्य
3.	वित्त मंत्री, वित्त विभाग मध्य प्रदेश	सदस्य
4.	मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मध्य प्रदेश	सदस्य
5.	मंत्री आदिमजाति कल्याण, मध्य प्रदेश	सदस्य
6.	अध्यक्ष, वक्फ बोर्ड	सदस्य
7.	अध्यक्ष, म.प्र. अल्पसंख्यक आयोग	सदस्य
8.	प्रभारी सचिव, स्कूल शिक्षा मध्य प्रदेश	सदस्य सचिव

वित्तीय समिति

बोर्ड के समस्त वित्तीय मामलों के नियंत्रण प्रशासन तथा प्रबंध के लिये वित्तीय समिति बोर्ड की सलाहकार समिति के रुप में कार्य करेगी।

वित्तीय समिति का गठन निम्नानुसार होगा :–

1. अध्यक्ष म.प्र. मदरसा बोर्ड।
2. शासन द्वारा नियुक्त पदेन सदस्यों में से एक सदस्य।
3. शासन द्वारा नाम निर्देशित सदस्यों में से एक सदस्य।
4. बोर्ड द्वारा नामजद किए गए अन्य तीन सदस्य।
   अध्यक्ष म.प्र. मदरसा बोर्ड वित्तीय समिति के अध्यक्ष होंगे।
   सचिव म.प्र. मदरसा बोर्ड वित्तीय समिति के सचिव होंगे।

वित्तीय समिति के निम्न कर्तव्य होंगे :–

1. बोर्ड के लिये वित्तीय वर्ष का बजट तैयार कर शासन को 31 जनवरी तक प्रस्तुत करना।
2. व्यय के नए प्रस्तावों का परीक्षण करना एवं बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना।
3. बोर्ड की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना।
4. बोर्ड की वित्तीय स्थिति को सुदृड करना।
5. कर्मचारियों के वेतनमानों पर पुर्न विचार करना तथा नई नियुक्तियों के वेतनमानों के लिये बोर्ड को सलाह देना।

मान्यता समिति

सत्र 2014–15 से मदरसा संबंधित समस्त प्रकार के आवेदन (नवीन मदरसा मान्यता, मान्यता का नवीनीकरण, नवीन समिति पंजीयन एवं समिति का नवीनीकरण) एम.पी. ऑनलाइन के पार्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जा रहे हैं। इस प्रकिया से संबंधित कार्य जो मान्यता समिति अथवा बोर्ड कार्यकारिणी में लिए गए निर्णय अनुसार निर्धारित होना हैं वह इस प्रकार हैं :–

क. समस्त प्रकार के मदरसा संबंधी ऑनलाइन आवेदनों का शुल्क निर्धारण करना।
ख. मदरसा पंजीयन एवं मान्यता नवीनीकरण के ऑनलाइन आवेदनों की तिथियों का निर्धारण करना।
ग. मदरसों से संबंधित विवादित प्रकरणों पर निर्णय लेना/मदरसों की मान्यता निरस्त करने संबंधी कार्यवाही करना।
घ. शासन/अध्यक्ष के निर्णय का अनुपालन।

मान्यता समिति का गठन निम्नानुसार होगा :–

1. अध्यक्ष, म.प्र. मदरसा बोर्ड/अध्यक्ष द्वारा नामजद बोर्ड सदस्य, अध्यक्ष समिति।
2. शासन द्वारा नियुक्त पदेन सदस्यों में से एक सदस्य।
3. शासन द्वारा नाम निर्देशित सदस्यों में से एक सदस्य।
4. बोर्ड द्वारा नामजद किए गए अन्य तीन सदस्य।
   अध्यक्ष/प्रतिनिधि म.प्र. मदरसा बोर्ड मान्यता समिति के अध्यक्ष होंगे।
   सचिव म.प्र. मदरसा बोर्ड मान्यता समिति के सचिव तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी होंगे।

परीक्षा समिति

म.प्र. मदरसा बोर्ड की परीक्षा समिति निम्नानुसार होगी :–

1. अध्यक्ष, म.प्र. मदरसा बोर्ड अथवा उनके द्वारा नामजद सदस्य।
2. सचिव म.प्र. मदरसा बोर्ड।
3. परीक्षा प्रभारी।
4. विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित तीन सदस्य जिन्हें बोर्ड द्वारा चुना गया हो –
   बोर्ड के सचिव परीक्षा समिति के सचिव के रुप में कार्य करेंगे।
5. बोर्ड द्वारा नामित तीन सदस्य।

परीक्षा समिति बोर्ड के अधीन रहते हुए निम्न निर्देशों का पालन करेगी।

1. म.प्र. मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं का संचालन करेंगी एवं परीक्षाओं की तिथियां निर्धारित करेगी।
2. पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा लेने वाले, प्रश्न पत्रों को बनाने वाले एवं परीक्षा से संबंधित व्यक्तियों की सूची को अंतिम रुप देगी।
3. प्रश्न पत्र बनाने वालों तथा माड्रेट्र्स की सूची को अंतिम रुप देने का अधिकार अध्यक्ष, सचिव को होगा।
4. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के फार्मों और उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान करेगी।
5. परीक्षा से संबंधित कार्यों के लिये मानदेय निर्धारित करेगी।
6. परीक्षाओं के लिये सेंटर स्थापित करेगी।
7. परीक्षा में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण के लिये बोर्ड को सुझाव देगी।
8. शासन/अध्यक्ष के निर्णय का अनुपालन।

नोट : शासन/अध्यक्ष के निर्णय का अनुपालन।